an>

Title: Need to amend the guidelines of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to facilitate construction of roads in all habitations in desert areas of Bramer Parliamentery Constituency, Rajasthan.

-

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर)ः प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो देश में सड़कों का जाल बिछा है उसके लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतज्ञ है। उनकी दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि देश के दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर भी सड़क पहुँच गई है और सड़क के माध्यम से उन गाँवों तक विकास पहुँचा है। आवागमन के साधनों के साथ ही आधुनिक सुविधाएँ भी पहुँच पाई हैं। जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो थार क्षेत्र है। बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल 60 हजार वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या 32 लाख है। इस क्षेत्र में पीएमजीएसवाई से क्षेत्र में सड़कों का बहुत काम हुआ है। गाँवों तक विकास पहुंच रहा है। इस क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी के हैबिटेशन को डामर सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं यहाँ बसावट छितराई ढाणियों में है जो खेतों में अलग-अलग बसी है। यहाँ सामूहिक रूप से गाँवों एवं आबादी की बसावट नहीं है। इस प्रकार से इस क्षेत्र की 50-60 प्रतिशत आबादी ढाणियों में बसने के कारण सड़कों से वंचित है। दुर्गम, विषम भौगोलिक स्थिति, अभावग्रस्त एवं पिछड़े इस इलाके में जहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सैल्सीयस पहुँच जाता है, धूलभरी आंधियाँ चलती हैं, जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा अर्जन के लिए, वृद्ध एवं महिलाओं का चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एवं अन्य जीवकोपार्जन हेतु रोजगार एवं व्यापार आदि के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क बनने से यहाँ की जनता काफी राहत महसूस करेगी। मेरे द्वारा 04.12.2015 के अतारांकित प्रश्न एवं 09.03.2015 के नियम 377 के तहत सरकार के ध्यान में उपरोक्त विषय लाया गया था। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2001 की जनगणना को आधार मान कर जलदाय विभाग द्वारा चिन्हित मरूस्थलीय क्षेत्रों में छितराई बसावटों/मजरों को सड़क से जोड़ने हेतु दो से चार बसावटों/मजरों को जोड़कर कलस्टर बनाकर सड़कों के प्रस्ताव मंगाये गये थे। जिनका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं, जिला परिषद से करवाया गया था। तदुपरान्त राज्य सरकार ने 2009-2010 के दौरान केन्द्र सरकार को स्वीकृत हेतु प्रस्ताव भिजवाए गये थे। परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा भिजवाये गये शेष कलस्टर जैसे जिसमें बाड़मेर जिले मे जनसंख्या 250-499 तक की 776 हेबीटेशन्स की 3114.50 कि.मी. लम्बाई अनुमानित लागत 622.2 करोड़ रूपये एवं 40 हेबीटेशन्स की 190.06 कि.मी. अनुमानित लागत 38.01 करोड़ रूपये सरकार द्वारा 2001 तक की जनसंख्या तक के कलस्टरों की सड़क का निर्माण करवा दिया गया है। यदि संभव हो तो पहाड़ी क्षेत्र के तर्ज पर 250 की आबादी से कम ढाणियों (हैबिटेशन) को क्लब करके एक कलस्टर बनाकर उनको सड़क से जोड़ा जाये। यह तभी संभव है जब वर्तमान गाईड लाइन में संशोधन किया जाए। मेरा माननीय प्रधानमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन है कि 1.मरू स्थलीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान द्वारा विशेष बाड़मेर-जैसलमेर-गंगानगर-बीकानेर एवं जालोर जिलों में कलस्टरों की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करायें। (II) 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर मार्ग दर्शिका के पैरा 2.1 एवं 3.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृति जारी करें ताकि इस क्षेत्र की सदियों से पिछड़ी एवं वंचित जनता भी देश में विकास की धारा से जुड़ सके।